मध्यप्रदेश विधान सभा

फरवरी-अप्रैल, 2016 सत्र

दैनिक कार्य सूची

शुक्रवार, दिनांक 1 अप्रैल, 2016 (चैत्र 12, 1938)

समय 11.00 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकत: वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

श्री जयंत मलैया, वित्त मंत्री, मध्यप्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2005 (क्रमांक 18 सन् 2005) की धारा 11 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार-

(क) मध्यप्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2005 एवं मध्यप्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन नियम, 2006 के अंतर्गत अनुपालन एवं पुनर्विलोकन रिपोर्ट दिसम्बर, 2015,

(ख) वित्तीय वर्ष 2014-2015 की द्वितीय छ:माही के दौरान बजट से संबंधित आय और व्यय की प्रवृत्तियों का छ:माही समीक्षा विवरण तथा

(ग) वित्तीय वर्ष 2015-2016 की प्रथम छ:माही के दौरान बजट से संबंधित आय और व्यय की प्रवृत्तियों का छ:माही समीक्षा विवरण, पटल पर रखेंगे.

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) सर्वश्री सुन्दरलाल तिवारी, जीतू पटवारी, सुखेन्द्र सिंह बन्ना सदस्य, सतना जिले के मुकुन्दपुर स्थित चिड़ियाघर एवं प्राणी सहउपचार केन्द्र के निर्माण में अनियमितता किये जाने की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री अंचल सोनकर, सदस्य, जबलपुर के हनुमानताल थानांतर्गत युवक पर प्राण घातक हमला किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(3) श्री सूबेदार सिंह रजौधा, डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य, मुरैना जिले के ग्राम सेमई में शासकीय भूमि के पट्टों में अनियमितता किये जाने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(4) श्री प्रदीप अग्रवाल, सदस्य, दतिया जिले के ग्राम रूहेरा स्थित सिंध नदी से रेत का अवैध उत्खनन किये जाने की ओर खनिज साधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(5) चौधरी मुकेश सिंह चतुर्वेदी, सदस्य, भिण्ड जिले के मेहगांव क्षेत्र में इल्ली प्रकोप से फसल नष्ट होने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(6) श्री रमेश मैंदोला, सदस्य, इंदौर के आजाद नगर पुलिस द्वारा नागरिकों के साथ अकारण मारपीट किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(7) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य, ग्वालियर मुरैना राष्ट्रीय राजमार्ग पर निर्धारित दर से अधिक दर पर टोल टैक्स की वसूली किये जाने की ओर लोक निर्माण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(8) श्री अमर सिंह यादव, सदस्य, राजगढ़ क्षेत्र की नलजल योजनाएं सुचारू रूप से चालू न होने से उत्पन्न स्थिति की ओर लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(9) श्रीमती अर्चना चिटनिस, सदस्य, प्रदेश में टिशु कल्चर पौध रोपण का हार्डनिंग सेंटर का लाभ कृषकों को न मिलने की ओर उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगी.

(10) श्री आशीष शर्मा, सदस्य, इंदौर बैतूल राष्ट्रीय राजमार्ग पर पुलिया संकरी होने से उत्पन्न स्थिति की ओर लोक निर्माण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(11) श्री दुर्गालाल विजय, सदस्य, श्योपुर जिले के ग्राम जाखदा जागीर स्थित शासकीय भूमि पर कब्जा किये जाने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(12) श्री ठाकुरदास नागवंशी, सदस्य, इटारसी स्थित महाविद्यालय द्वारा परीक्षा का आयोजन न किये जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर उच्च शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(13) श्रीमती नीना विक्रम वर्मा, सदस्य, धार जिले के पीथमपुर स्थित उद्योग में विस्फोट से पांच श्रमिकों के झुलसने से उत्पन्न स्थिति की ओर श्रम मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगी.

(14) सर्वश्री आरिफ अकील, सुन्दरलाल तिवारी, रामनिवास रावत, सदस्य, मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड में अनियमितता होने की ओर पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(15) श्री सुदर्शन गुप्ता, सदस्य, इंदौर में प्रोजेक्ट उदय के तहत नर्मदा का जल पेयजल हेतु उपलब्ध न होने की ओर मुख्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(16) श्री कालुसिंह ठाकुर, सदस्य, खंडवा जिले में सड़क निर्माण हेतु अवैध रूप से खनिज का दोहन किये जाने की ओर लोक निर्माण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(17) श्री सुदर्शन गुप्ता, सदस्य, इंदौर शहर में फर्जी कम्पनियों द्वारा लोगों के साथ धोखाधड़ी किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(18) श्री संजय शर्मा, सदस्य, तेंदूखेड़ा क्षेत्र के बिजौरा सड़क निर्माण हेतु अधिग्रहित भूमि की मुआवजा राशि न मिलने से उत्पन्न स्थिति की ओर लोक निर्माण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(19) श्री यशपाल सिंह सिसौदिया, सदस्य, इंदौर उज्जैन संभाग में बी.एड. कालेज के नाम पर लूट खसौट किये जाने की ओर उच्च शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(20) श्रीमती अर्चना चिटनिस, सदस्य, बुरहानपुर जिले में संचालित रेशम उद्योग बंद होने से उत्पन्न स्थिति की ओर ग्रामोद्योग मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगी.

(21) श्री सतीश मालवीय, सदस्य, उज्जैन जिले में विभागीय अधिकारियों की मिलीभगत से मिलावटी शराब की बिक्री किये जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर वाणिज्यिक कर मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(22) श्री संजय शाह, सदस्य, हरदा जिले में अनेक नहरों से लिफ्ट सिंचाई पर रोक लगाये जाने की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(23) श्री राजेन्द्र श्यामलाल दादू, सदस्य, बुरहानपुर जिले के ग्राम जैनाबाद में प्रशासनिक अमले पर असामाजिक तत्वों द्वारा हमला किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(24) श्री सुखेन्द्र सिंह बन्ना, सदस्य, रीवा जिले के ग्राम अर्जुनपुर में अवैध रूप से रखा पोषण आहार जप्त किये जाने की ओर महिला एवं बाल विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(25) सर्वश्री जीतू पटवारी, रामनिवास रावत, सदस्य, पेंच नेशनल पार्क में बाघिन और शावकों के शव पाये जाने की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(26) श्री रामनिवास रावत, सदस्य, श्योपुर जिले में विद्युत लाईनें जीर्णशीर्ण होने से दुर्घटनाएं होने की ओर ऊर्जा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(27) श्री दिव्यराज सिंह, सदस्य, रीवा जिले के सिरमौर नगर पंचायत में पेयजल संकट होने की ओर मुख्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(28) श्री रामनिवास रावत, सदस्य, प्रदेश के अनेक जिलों में डेंगू की रोकथाम हेतु पर्याप्त प्रबंध न किये जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(29) श्री रामनिवास रावत, सदस्य, पन्ना जिले में हीरा खदानों से हीरे की चोरी होने की ओर खनिज साधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(30) सर्वश्री शैलेन्द्र पटेल, रामनिवास रावत, सदस्य, सीहोर जिला चिकित्सालय में एक महिला की मौत होने की ओर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(31) श्री महेन्द्र हार्डिया, सदस्य, प्रदेश के विकलांग बच्चों को भारत सरकार की योजनाओं का लाभ न मिलने की ओर स्कूल शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

4. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्री शैलेन्द्र पटेल, सदस्य, सीहोर जिले के-
- (क) ग्राम मोगराराम में हायर सेकेण्ड्री स्कूल भवन का निर्माण कराये जाने, तथा
- (ख) तहसील मुख्यालय पर पशु चिकित्सालय स्थापित किये जाने,

(2) श्री सुशील कुमार तिवारी, सदस्य, जबलपुर जिले के-
- (क) पनागर शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में नवीन भवन निर्माण किये जाने, तथा
- (ख) ग्राम पंचायत हिनोतिया की (भोई) शासकीय माध्यमिक शाला का हाई स्कूल में उन्नयन किये जाने,

(3) श्री मुकेश नायक, सदस्य, पन्ना जिले के-
- (क) ग्राम रैगुवां के पनघटा नाले पर स्टाप डेम बनाये जाने,
- (ख) ग्राम झांझर के भमका झिरिया के पास स्टाप डेम बनाये जाने, तथा
- (ग) ग्राम महुआखेड़ा के डोडी नाले पर स्टाप डेम बनाये जाने,

(4) श्री सचिन यादव, सदस्य, खरगोन जिले के-
- (क) ग्राम बरसलाय की कसिपटान मेन रोड से ग्राम गौल तक की सड़क निर्माण कराये जाने,
- (ख) ग्राम बामखल से दोगांवा मार्ग फाटे से सरवरदेवला गांव तक का सड़क निर्माण कार्य कराये जाने,
- (ग) ग्राम बामखल दोगावां मेन रोड से ग्राम कोण्डापुरा तक सड़क मार्ग निर्माण कराये जाने,तथा
- (घ) खरगोन जिले के ग्राम सैलानी मुलठान मेन रोड से वायतेल तक पहुंच मार्ग का निर्माण कराये जाने,

(5) पं. रमाकांत तिवारी, सदस्य, रीवा जिले के-
- (क) वि.ख. जवा डभौरा मार्ग से कर्मा प्लाट-महिलों मार्ग का निर्माण मुख्यमंत्री सड़क योजनान्तर्गत कराये जाने, तथा
- (ख) डोडौ वि.ख. जवा शा. पूर्व मा. विद्यालय का हाई स्कूल में उन्नयन किये जाने,

(6) श्री केदारनाथ शुक्ल, सदस्य, सीधी जिले के-
- (क) ग्राम चौफाल पवाई टोला नाकादर में प्राथमिक स्कूल खोले जाने,
- (ख) पिपरोहर शा. हाई स्कूल को हायर सेकेण्ड्री में उन्नयन किये जाने, तथा
- (ग) ग्राम खैरा के शा. हाई स्कूल का उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में उन्नयन किये जाने,

(7) श्री संजय शर्मा, सदस्य, नरसिंहपुर जिले के-
- (क) ग्राम डोभी में शा. कन्या हाई स्कूल का उन्नयन उच्चतर मा. विद्यालय में किये जाने,
- (ख) ग्राम रमखिरिया से झामर तक पक्का मार्ग बनाये जाने, तथा
- (ग) ग्राम जगन्नाथपुर के शा. तालाब का गहरीकरण कराये जाने,

(8) श्री गिरीश भंडारी, सदस्य, राजगढ़ जिले की तहसील नरसिंहगढ़ से कुरावर व्हाया मेंगलादीप कोटरीकलां से ताजीपुरा तक सड़क बनाये जाने,

(9) श्री आशीष गोविंद शर्मा, सदस्य, देवास जिले के-
- (क) ग्राम इकलेरा से कोलारी तक सड़क बनाये जाने, तथा
- (ख) ग्राम मनोरा से हरणगावं तक सड़क बनाये जाने,

(10) श्री नीटू सत्यपाल सिंह सिकरवार, सदस्य, मुरैना जिले के-
- (क) सुमावली सिघौरा रोड से धमकन रोड तक सड़क मार्ग निर्माण कराये जाने, तथा
- (ख) ग्राम जौरी रोड से मुरैना गांव तक सड़क निर्माण कराये जाने,

(11) श्री संजय उइके, सदस्य, बालाघाट जिले के-
- (क) ग्राम पंचायत दमोह से अचानकपुर तक पहुंच मार्ग बनाये जाने,
- (ख) ग्राम भगतवाही में सड़क निर्माण कराये जाने , तथा
- (ग) ग्राम भण्डेरी से सुदूर वनग्राम तक सड़क निर्माण कराये जाने,

(12) श्री हितेन्द्र सिंह सोलंकी, सदस्य, खरगोन जिले के-
- (क) ग्राम पंचायत सिरलाय के अनुसूचित जाति मोहल्ले में सामुदायिक भवन की स्वीकृति प्रदान किये जाने, तथा
- (ख) ग्राम पंचायत लौंदी (एस) में अनुसूचित जाति मोहल्ले में सामुदायिक भवन की स्वीकृति प्रदान किये जाने,

(13) श्री कुंवरसिंह टेकाम, सदस्य, सिंगरौली जिले के-
(क) ग्राम निगरी के शासकीय हाई स्कूल व मिडिल स्कूल में बाउंड्रीवॉल का निर्माण किये जाने,
(ख) ग्राम पायल के बेहराडोल करौंदिया नाले पर पुलिया व रपटा का निर्माण कराये जाने, तथा
(ग) सीधी जिले के ग्राम पंचायत निगरी हरिजन बस्ती में सी.सी. रोड बनाये जाने,
(14) श्री मुरलीधर पाटीदार, सदस्य, आगर (मालवा) जिले के-
(क) सुसनेर व सोयत में कठाल नदी पर गंदे नाले के पानी की निकासी व घाट का निर्माण किये जाने,
(ख) नलखेड़ा एवं सोयत में कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का भवन बनाये जाने,
(ग) सुसनेर शासकीय महाविद्यालय में कम्प्यूटर साइंस की कक्षाएं प्रारंभ कराये जाने, तथा
(घ) सुसनेर में संतरे से जुड़े उद्योग एवं संतरा प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित किये जाने
(15) श्री बलवीर सिंह डण्डौतिया, सदस्य, मुरैना जिले के ग्राम पंचायत बरेथा से चक्रभान का पुरा में सी.सी. रोड स्वीकृत किये जाने,
(16) श्री सुखेन्द्र सिंह, सदस्य, रीवा जिले के-
(क) मऊगंज में कन्या महाविद्यालय की स्थापना कराये जाने,
(ख) बसिगड़ा की पूर्व मा. वि. का हाई स्कूल में उन्नयन किये जाने, तथा
(ग) ग्राम हाटा पूर्व मा. विद्यालय का हाई स्कूल में उन्नयन किये जाने,
(17) श्री निशंक जैन, सदस्य, विदिशा जिले के ग्राम बहलोट में नाली सह-सड़क निर्माण किये जाने,
(18) श्रीमती ललिता यादव, सदस्य, छतरपुर जिले के-
(क) ग्राम रसुइया भाटन के बाहर से रोड बनाये जाने, तथा
(ख) वार्ड क्र. 08 छतरपुर नगर मे राधा कृष्ण मंदिर का जीर्णोद्धार कराये जाने,
(19) श्रीमती शकुन्तला खटीक, सदस्य, शिवपुरी जिले के ग्राम सिरसोद से टोड़ा पिछोर के बीच महुअर नदी पर रपटा या पुल निर्माण कराये जाने,
(20) श्री सुन्दरलाल तिवारी, सदस्य, रीवा जिले के-
(क) दुआरी कन्या पूर्व माध्यमिक विद्यालय को हाई स्कूल में उन्नयन किये जाने, तथा
(ख) अमवा से डिहुली पहुंच मार्ग बनाये जाने,
(21) श्री प्रताप सिंह, सदस्य, दमोह जिले के-
(क) तेन्दूखेड़ा महाविद्यालय में फर्नीचर उपलब्ध कराये जाने,
(ख) तेजगढ़ में गौरया नदी पर बने रपटे को पुल में परिवर्तन करने, तथा
(ग) ग्राम बमुरिया से जुझारघाट तक सड़क बनाये जाने
(22) श्री आरिफ अकील, सदस्य -
(क) भोपाल वार्ड क्र 58 भारती निकेतन स्थित नाले की रिटर्निंग वाल का निर्माण कराये जाने,
(ख) रायसेन जिले के ग्राम इस्लाम नगर में विद्युतीकरण कार्य कराये जाने, तथा
(23) श्री मानवेन्द्र सिंह, सदस्य, छतरपुर जिले के ग्राम अलीपुरा धनुषधारी के प्राचीन मंदिर का जीर्णोद्धार कराये जाने,
(24) कुवर सौरभ सिंह, सदस्य, कटनी जिले के-
(क) अमहानाला, खजुरहा नाला तथा मिटला नाले पर मेड़बधन एवं जलाशय निर्माण कराये जाने,
(ख) रीठी विकास खण्ड में विरूहली जलाशय का निर्माण किये जाने, तथा
(ग) लवकुश नगर में तालाबों का जीर्णोद्धार किये जाने,
(25) श्री जालम सिंह पटेल, सदस्य, नरसिंहपुर जिले के-
(क) ग्राम झामर के हाई स्कूल में विज्ञान संकाय एवं कामर्स संकाय की कक्षाएं प्रारंभ करने,
(ख) ग्राम पंचायत धमना के हायर सेकेण्ड्री स्कूल में विज्ञान संकाय एवं कामर्स संकाय की कक्षाएं प्रारंभ कराये, तथा
(ग) ग्राम मुराछ के शासकीय हाई स्कूल को हायर सेकेण्ड्री स्कूल में उन्नयन किये जाने,
(26) श्री वीर सिंह पंवार, सदस्य, विदिशा जिले के-
(क) ग्राम वजीराबाद से विशनपुर तक रोड निर्माण कराये जाने,
(ख) ग्राम रोशन पिपरिया से रेंहकला तक रोड निर्माण किये जाने, तथा
(ग) ग्राम विशनपुर से पीकलोन तक रोड का निर्माण कराये जाने,
(27) श्रीमती चंदा सुरेन्द्र सिंह गौर, सदस्य, टीकमगढ़ जिले के-
(क) ग्राम मिड़ावली में संचालित शा. मा. शाला का हाई स्कूल में उन्नयन कराये जाने, तथा
(ख) ग्राम बनेरा में संचालित शा.मा. शाला का उन्नयन कर शा. हाई स्कूल में किए जाने जाने
(28) श्री पुष्पेन्द्र नाथ पाठक, सदस्य, छतरपुर जिले के ग्राम ईशानगर की शा. कन्या हाई स्कूल एवं अनुसूचित जाति छात्रावास में बाउण्ड्रीवॉल का निर्माण कराये जाने,
(29) श्री जितेन्द्र गेहलोत, सदस्य, रतलाम जिले के ग्राम उपलई की माध्यमिक शाला को हाई स्कूल में उन्नयन किये जाने,
(30) श्री दिव्यराज सिंह, सदस्य, रीवा जिले के-
(क) जवा डभौरा मार्ग से कर्मा प्लाट महिलो तक पहुंच मार्ग का डामरीकरण कराये जाने, तथा
(ख) ग्राम बदरांव गौतमान के हाई स्कूल को हायर सेकेण्ड्री में उन्नयन किये जाने,
(31) श्री अरूण भीमावद, सदस्य, शाजापुर जिले के-
(क) ग्राम पंचायत अभयपुर से तुहेड़िया तक सड़क निर्माण कराये जाने, तथा
(ख) ग्राम बमोरी में श्री राममंदिर का जीर्णोद्धार किये जाने,
(32) श्री अमर सिंह यादव, सदस्य, राजगढ़ जिले के ग्राम गोरधनपुरा से मनोहर थाना तथा ग्राम बगा से करणपुरा के बीच पुलिया निर्माण कराये जाने,
(33) श्रीमती ममता मीना, सदस्य, गुना जिले के ग्राम मंत तहसील मधुसूदनगढ़ में नवीन मिडिल स्कूल स्वीकृत किये जाने,
(34) श्री राजेन्द्र फूलचंद वर्मा, सदस्य, देवास जिले के भीलखेड़ी से बालोन तक सड़क निर्माण कराये जाने,
(35) श्री घनश्याम पिरौनियां, सदस्य, दतिया जिले के ग्राम सिमरिया एवं कुम्हरिया के मध्य रोड निर्माण कराये जाने,
(36) श्री नारायण सिंह पंवार, सदस्य, राजगढ़ जिले के-
(क) ग्राम अमानपुरा में सिंचाई हेतु तालाब निर्माण कराये जाने,
(ख) ग्राम पातलापानी में सिंचाई हेतु तालाब निर्माण कराये जाने, तथा
(ग) ग्राम लुहारी में सिंचाई हेतु तालाब निर्माण कराये जाने,
(37) श्री दिलीप सिंह परिहार, सदस्य, नीमच शहर के महू नसिराबाद मार्ग का चौड़ीकरण (फोरलेन) कराये जाने,
(38) श्री जयवर्द्धन सिंह, सदस्य, गुना जिले के ग्राम गोखल्या में प्राथमिक विद्यालय प्रारंभ किये जाने,
(39) श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा, सदस्य, अशोक नगर जिले के मुंगावली ग्राम सरदारपुर वीडसरकार, सहित रामनगर अन्य ग्रामों में नल जल योजना स्वीकृत किये जाने,

- 4 -

(40) श्री हर्ष यादव, सदस्य, सागर जिले के ग्राम गौरझामर में शासकीय महाविद्यालय प्रारंभ करने की स्वीकृति प्रदान करने,
(41) श्री प्रहलाद भारती, सदस्य, शिवपुरी जिले के पोहरी में कूनों से जल आवर्धन योजना का क्रियान्वयन शीघ्र कराये जाने,
(42) श्री कालु सिंह ठाकुर, सदस्य, धार जिले की कुंजरोद शा. माध्यमिक विद्यालय को हाई स्कूल में उन्नयन किये जाने,
(43) श्री यशपाल सिंह सिसौदिया, सदस्य, मंदसौर जिले के ग्राम बनी से चेतना आश्रम तक डामरीकृत रोड बनाये जाने,
(44) श्री दिनेश कुमार अहिरवार, सदस्य, टीकमगढ़ जिले के ग्राम वीरपुरा के शा. मा. शाला का हाई स्कूल में उन्नयन किये जाने,
(45) श्री महेश राय, सदस्य, सागर जिले के ग्राम देहरी के हाई स्कूल का हायर सेकेण्ड्री में उन्नयन किये जाने,
के संबंध में याचिकाएं प्रस्तुत करेंगे.

5. प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अवधि में वृद्धि का प्रस्ताव

श्री कैलाश चावला, सभापति, विशेषाधिकार समिति, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे :-

"विशेषाधिकार समिति को संदर्भित विशेषाधिकार भंग की सूचना पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अवधि में आगामी सत्र के अंतिम दिवस तक की वृद्धि की जाए."

6. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) सुश्री कुसुम सिंह महदेले, विधि और विधायी कार्य मंत्री, मध्यप्रदेश विनियोग अधिनियम (निरसन) विधेयक, 2016 (क्रमांक 11 सन् 2016) के पुर:स्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगी तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुर:स्थापित करेंगी.

(2) सुश्री कुसुम सिंह महदेले, विधि और विधायी कार्य मंत्री, मध्यप्रदेश निरसन विधेयक, 2016 (क्रमांक 12 सन् 2016) के पुर:स्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगी तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुर:स्थापित करेंगी.

(3) श्री लाल सिंह आर्य, राज्य मंत्री सामान्य प्रशासन, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (संशोधन) विधेयक, 2016 (क्रमांक 7 सन् 2016) पर विचार किया जाए.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डश: विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए.

(4) डॉ. नरोत्तम मिश्रा, संसदीय कार्य मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2016 (क्रमांक 8 सन् 2016) पर विचार किया जाए.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डश: विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए.

(5) डॉ. नरोत्तम मिश्रा, संसदीय कार्य मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश विधान सभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष एवं नेता प्रतिपक्ष वेतन तथा भत्ता विधि (संशोधन) विधेयक, 2016 (क्रमांक 9 सन् 2016) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डश: विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए.

(6) श्री लाल सिंह आर्य, राज्य मंत्री सामान्य प्रशासन, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश मंत्री (वेतन तथा भत्ता) संशोधन विधेयक, 2016 (क्रमांक 10 सन् 2016) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डश: विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए.

(7) सुश्री कुसुम सिंह महदेले, विधि और विधायी कार्य मंत्री, प्रस्ताव करेंगी कि मध्यप्रदेश विनियोग अधिनियम (निरसन) विधेयक, 2016 (क्रमांक 11 सन् 2016)) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डश: विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगी कि विधेयक पारित किया जाय.

(8) सुश्री कुसुम सिंह महदेले, विधि और विधायी कार्य मंत्री, प्रस्ताव करेंगी कि मध्यप्रदेश निरसन विधेयक, 2016 (क्रमांक 12 सन् 2016)) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डश: विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगी कि विधेयक पारित किया जाए.

निर्धारित समय

7. अशासकीय संकल्प

(1) श्री यशपाल सिंह सिसोदिया, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे -

1 घण्टा "सदन का यह मत है कि मध्यप्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद (मेपकास्ट) के सुदूर संवेदन उपयोग केन्द्र को शासकीय जी.आई.एस. कार्य हेतु नोडल संस्था घोषित किया जाये. ".

(2) श्री रामनिवास रावत, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे -

30 मि. "यह सदन केन्द्र सरकार से अनुरोध करता है कि मध्यप्रदेश में निवासरत अनुसूचित जाति/जनजाति को स्थायी जाति प्रमाण पत्र जारी किये जायें.".

(3) श्री शैलेन्द्र जैन, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे -

30 मि. "यह सदन केन्द्र सरकार से अनुरोध करता है कि भारत के प्रसिद्ध शिक्षाविद, दार्शनिक तथा भारतीय संविधान सभा के प्रमुख सदस्य डॉ. सर हरिसिंह गौर के नाम पर दमोह-भोपाल राज्यरानी एक्सप्रेस ट्रेन का नाम डॉ. हरिसिंह गौर एक्सप्रेस किया जाये.".

(4) सर्वश्री सुखेन्द्र सिंह, महेश राय, निशंक कुमार जैन, वीरसिंह पंवार, कल्याण सिंह ठाकुर, दिलीप सिंह शेखावत, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे –

30 मि. "यह सदन केन्द्र शासन से अनुरोध करता है कि :

(i) रीवा-मिर्जापुर रेल्वे लाईन का निर्माण किया जाये,

(ii) राज्यरानी एक्सप्रेस गाड़ी नं. 22161 / 22162 एवं विन्ध्याचल एक्सप्रेस गाड़ी नं. 11271 / 11272 को भोपाल स्टेशन से बढ़ाकर हबीबगंज स्टेशन तक किया जाये. तथा

(iii) सिंहस्थ महाकुम्भ, 2016 के अन्तर्गत उज्जैन जिले के नागदा जंक्शन में यात्री गाड़ी क्रमांक 15667,19053,19061 तथा 19021 का स्टॉपेज किया जाये एवं गाड़ी क्रमांक 15108 एवं 12183 का संचालन नागदा जंक्शन तक किया जाये.".

8. नियम 52 के अधीन आधे घंटे की चर्चा

दिनांक 18 मार्च, 2016 को ऊर्जा मंत्री से पूछे गए परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 92 (क्रमांक 5914) के उत्तर से उद्भूत विषय पर श्री रमेश मैन्दोला, सदस्य चर्चा उठायेंगे.

भगवानदेव ईसरानी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा

भोपाल :
दिनांक : 31 मार्च, 2016